

अनन्तिम पारिवारिक पेंशन का स्वीकृति आदेश

प्रेषक,
.....
..... (स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय का नाम व पता)

सेवा में,
.....
..... (पारिवारिक पेंशन पाने वाले का नाम व पता)

संख्या : दिनांक :

विषय : श्री/श्रीमती/कुमारी.....को अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या सा-3-1657/दस-731/87 दिनांक 9 जून, 1987 के अधीन आपको उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार अनन्तिम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है :-

1. मृतक कार्मिक का नाम तथा मृत्यु
के पूर्व पद नाम तथा कार्यालय का नाम
2. मृत्यु की तिथि
3. मृतक की सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि
4. मृतक की मृत्यु के दिनांक को प्राप्त मूल वेतन
5. अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि
6. अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि (उपरोक्त 5 का 90 प्रतिशत)
7. अनन्तिम पारिवारिक पेंशन पर देय राहत
8. योग रु.
रु.
(अगले रुपये में राउन्ड करने के उपरान्त)
रु.
.....
..... (शब्दों में)
.....

9. यदि मृत्यु के पूर्व सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की गई हो तो शासनादेश संख्या

सा-13-1563/दस-921 के 181

दिनांक 8.11.1981 अन्तर्गत देय

पारिवारिक पेन्शन की धनराशि

10. उपरोक्त 9 में उल्लिखित दशा में
अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि
(उपरोक्त 9 का 90 प्रतिशत)
11. उपरोक्त 10 की धनराशि पर अनुमन्य राहत
12. योग

.....
.....

रु.

या

रु.

(अगले रुपये में राउन्ड करने के उपरान्त)

रु.

(शब्दों में)

2. चूंकि उपरोक्त क्रमांक 12 पर स्वीकृत धनराशि केवल 7 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य है अतः यह धनराशि दिनांक..... तक ही अनुमन्य होगी। तत्काल दिनांक..... से उपरोक्त क्रमांक 5 अथवा 6 जैसी स्थिति हो, पर उल्लिखित धनराशि अनुमन्य होगी।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार/मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय से अन्तिम पारिवारिक पेन्शन का आदेश प्राप्त हो जाने की अगली तिथि से उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन बन्द कर दी जायेगी और अनन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि को अन्तिम पारिवारिक पेंशन की धनराशि से समयोजित कर लिया जायेगा।
4. उपरोक्त अनन्तिम पारिवारिक पेंशन श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनांक..... तथा (अथवा पुर्नविवाह की स्थिति में पुर्नविवाह के दिनांक तक), जो भी पहले हो अनुमन्य की तत्पश्चात् उसे दिनांक..... तक श्री/श्रीमती/कुमारी को तथा दिनांक..... तक श्री/श्रीमती..... को अनुमन्य किया जायेगा।

भवदीय

स्वीकृतकर्ता, अधिकारी का नाम
एवं पदनाम